Faridabad Plot Built Properties in all Sectors
SYNDICATE ESTATE AGENCY
Ind. Plot no. 11, Sector-15A, Faridabad.
Ph. : (o) 2284588
(R) : 2224288
Spl. In - Residential, Commercial & Industrial

मेहनतकशों का पैग़ाम — मेहनतकशों के नाम
Email : mazdoormorcha@yahoo.co.in

मज़दूर मोर्चा

पाक्षिक
नेट पर उपलब्ध : www.mazdoormorcha.com
Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06/R.N.I. No. 66400/97

ANCHOR ROADLINES
(Regd) SCO - 29, Shoping Centre, Sec. - 11D, FBD.
Daily Parcel Service
For : Noida, Surajpur, Kasna, Ghaziabad, Haridawar, Gurgaon, Manesar, Dharuhera, Bhiwadi, Vice Varsa
24, Hours Service
Phones : 2285044, 2291388

वर्ष 23 | अंक 16 | वीरवार, फरीदाबाद, 1-15 जुलाई, 2010 | फोन : - 9999595632 | सहयोग राशि 1 रुपया

टावर पर चढ़े युवक को

डीसी ने बनाया हीरो, पुलिस ने बनाया जीरो : मुकदमा दर्ज

फ़रीदाबाद (म.मो.) करीब डेढ़ माह पूर्व राकेश वर्मा उर्फ़ राजेश वर्मा नामक जिस युवक ने लघु सचिवालय पर लगे पुलिस कंट्रोल रूम के टावर पर चढ़ कर ड्रामेबाज़ी की थी, उसके विरुद्ध थाना शहर बल्लबगढ़ की पुलिस ने भादसं की धारा 365, 376, 342 व 506 के अंतर्गत दिनांक 10 जून को मुकदमा नंबर-299 दर्ज कर लिया है। युवक तब से ही फ़रार है।

विदित है कि उक्त युवक ने टावर पर चढ़ कर ड्रामेबाज़ी करते हुए चावला कालोनी, बल्लबगढ़ की एक लड़की से अपनी शादी पक्की करवाने की मांग रखते हुए कहा कि यदि लड़की वालों ने हां नहीं भरी तो वह ऊपर से कूद कर जान दे देगा। यह ड्रामा ठीक उसी तर्ज पर था जिस पर शोले फ़िल्म में धर्मेन्द्र ने हेमा मालिनी से उसकी शादी की हां उसकी मौसी से करवाई थी।

टावर पर चढ़े उस युवक से वार्ता करने एवं समझाने-बुझाने का कार्य स्वयं ज़िले के उपायुक्त प्रवीण कुमार ने अपने हाथों में लिया, क्योंकि वे अपने से ज़्यादा काबिल एवं सक्षम किसी अधिकारी को नहीं समझते। वार्ता के दौरान उपायुक्त ने युवक की मांग को मानते हुए उसकी शादी की हामी भर ली। लेकिन युवक ने शर्त रख दी कि जब तक लड़की व उसके घर वाले आ कर हामी नहीं भरेंगे, वह नीचे उतरने वाला नहीं। इस पर उपायुक्त ने निहायत ही ग़ैरजिम्मेदाराना व अहमकाना आदेश बल्लबगढ़ के पुलिस उपायुक्त को दिया कि वह तुरंत लड़की को सपरिवार घटना स्थल पर लेकर आयें।

अव्वल तो यह आदेश पुलिस के मानने लायक ही नहीं था और दूसरे लड़की वालों को पुलिस का हुक्म मानने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन लड़की वाले क्योंकि ग़रीब और कमज़ोर थे, इसलिये पुलिसिया धौंस उन पर चल गई, वरना कोई धींगड़े होते तो पुलिस उनके यहां झांकती भी नहीं।

उपायुक्त एवं पुलिस के भारी दबाव में लड़की वालों ने उस लफंटर की बात मानते हुए शादी की हां भर ली तो वह टावर से नीचे उतरा। नीचे उतरते ही उपायुक्त ने उसका ऐसे स्वागत किया जैसे किसी एवरेस्ट विजेता हीरो का होता है, जबकि पुलिस उसको अपनी हिरासत में ले कर उसकी अच्छी-खासी छितरोल कर के भादसं की धारा 309 आदि में हवालात में बंद करना चाहती थी। ऐसे लफंटर मजनुओं के लिए यह इलाज ज़रूरी भी होता है। अब चूंकि अति 'बुद्धिमान' उपायुक्त ने उसे हीरो बना दिया था और पुलिस को उसका सही से इलाज नहीं करने दिया था, इसलिये उसके तो हौंसले और भी बुलंद हो गये। उसने तो लड़की वालों का जीना हराम कर दिया। लड़की वाले बेचारे रोज़ थाने में खड़े रहने लगे। आखिर मजबूर हो कर पुलिस को लड़की की शिकायत पर अमल करते हुए उक्त मुकदमा दर्ज करना पड़ा जो लड़की ने अप्रैल 2010 में पुलिस को नहीं दी थी।

अपने इस शिकायती शपथ पत्र में लड़की कहती है कि राकेश वर्मा 13.3.10 को उसे बहका-फुसला कर पानीपत ले गया था। वहां उसे जान से मारने की धमकी के साथ कैद रखा गया। वह उसके साथ कई दिनों तक बलात्कार करता रहा। मौका पा कर उसने किसी तरह अपने पिता को फ़ोन किया जो पुलिस की सहायता से उसे छुड़ा कर पानीपत से बल्लबगढ़ लाये थे।

लड़की कहती है कि राकेश वर्मा 13.3.10 को उसे बहका-फुसला कर पानीपत ले गया था। वहां उसे जान से मारने की धमकी के साथ कैद रखा गया। वह उसके साथ कई दिनों तक बलात्कार करता रहा। मौका पा कर उसने किसी तरह अपने पिता को फ़ोन किया।

शेष पेज 2 पर

थानेदार द्वारा 'मज़दूर मोर्चा' संपादक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने की मांग

फ़रीदाबाद (म.मो.) डॉक्टर से थानेदार बने सुनील के काले कारनामों का विवरण मोर्चा के पाठक पढ़ ही चुके हैं। उसके काले कारनामों की गंभीरता को देखते हुए उसके विरुद्ध आपराधिक मामले दर्ज कर के उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा न करके उसको केवल अस्थाई तौर पर भौंडसी स्थित इंडिया रिजर्व बटालियन में भेज दिया गया है। इस लुटेरे थानेदार के अलावा और भी ऐसे थानेदार इस ज़िले से वहां भेजे गये हैं जिनके विरुद्ध किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं थी। लिहाज़ा भौंडसी भेजने को महकमा सज़ा नहीं, बल्कि एक ड्यूटी मानता है। लेकिन इस लुटेरे थानेदार की तो भौंडसी के नाम से न केवल नींद हराम हो गई है, बल्कि दिमागी संतुलन भी बिगड़ गया है। इसके परिणामस्वरूप उसने पुलिस कमिश्नर को पिछले दिनों एक प्रार्थना पत्र देकर मज़दूर मोर्चा के संपादक सतीश कुमार व अपने ही महकमे के दो थानेदारों के विरुद्ध हरिजन एक्ट (एससी/एसटी एक्ट) के तहत मुकदमा दर्ज किये जाने की मांग की है।

अपनी दरख्वास्त में सुनील लिखता है कि दिनांक 15.5.10 को उसके ही साथी दो थानेदारों ने उसकी चौकी के मुंशी को फ़ोन करके उसे ढेंड-चमार कहते हुए गंदी-गंदी गालियां दी और कहा कि मज़दूर मोर्चा का पत्रकार सतीश उनका गुहांडी है। वे उससे कह कर उसके खिलाफ़ झूठी ख़बरें छपवा कर उसका नाश कर देंगे। उन्होंने मुंशी नाहर सिंह से यह भी कहा है कि वह अपने इंचार्ज थानेदार सुनील के उलटे-सीधे कारनामों के बारे में बताया करें। थानेदारों के मुंशी से हुए वार्तालाप को उसके अलावा तीन-चार अन्य पुलिसकर्मियों ने भी सुना था।

अपनी दरख्वास्त में वह आगे लिखता है कि ऐसा करके दोनों थानेदारों व सतीश कुमार ने उसका अपमान किया व एससी, एसटी एक्ट के तहत जुर्म किया है जो भारतीय गणतंत्र की गरिमा को ठेस पहुंचाया है। अत: इनके खिलाफ़ मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्यवाही की जाये। पुलिस कमिश्नर महोदय ने दरख्वास्त पर तुरंत कार्यवाही करते हुये उचित जांच हेतु इसे एसीपी बल्लबगढ़ बदन सिंह राणा को भेज दिया। राणा साहब ने दरख्वास्त में लिखे तमाम गवाहों को बयान दर्ज कराने के लिये बुला लिया। लेकिन मज़े की बात यह है कि एक भी गवाह ने सुनील के बयान की तस्दीक नहीं की। सभी ने कहा कि उनकी जानकारी में ऐसी कोई बात नहीं हुई है।

राणा साहब ने दरख्वास्त में लिखे तमाम गवाहों को बयान दर्ज कराने के लिये बुला लिया। लेकिन मज़े की बात यह है कि एक भी गवाह ने सुनील के बयान की तस्दीक नहीं की। सभी ने कहा कि उनकी जानकारी में ऐसी कोई बात नहीं हुई है।

शेष पेज 2 पर

रिलायंस व एस्सार के दबाव में पेट्रोलियम से सरकारी नियंत्रण हटा

विशेष प्रतिनिधि

गत् बीस बरस से कोई बरस ऐसा नहीं जा रहा जिसमें सरकार ने 3-4 बार पेट्रो दामों में वृद्धि न की हो। सरकार चाहे कांग्रेस की रही हो या भाजपाईयों की, यह सिलसिला यूं ही चलता आ रहा है। इस बार सरकार कह रही है कि उसने पेट्रो दामों में हस्तक्षेप करना बंद कर दिया है और बाज़ार ही इसके दाम तय करेगा। दूसरे शब्दों में अंतर्राष्ट्रीय भाव ही भारत में तेल के दाम तय करेंगे। इसमें नया क्या है? पहले भी जब अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में तेल के भाव बढ़ते थे तो सरकार देश में भाव बढ़ाती थी और घटने पर घटाती भी थी। वह बात अलग है कि बढ़ने पर बढ़ाती ज़्यादा थी और घटने पर घटाती कम थी।

इस बार सरकार कह रही है कि उसके हस्तक्षेप के चलते (सरकारी) तेल कंपनियों को भारी घाटा हो रहा है, जिसे पाटने के लिए उसे भारी मात्रा में सब्सिडी देनी पड़ती है जिसे अब वह बंद करके तेल दामों की पूरी तरह से कम्पनियों पर छोड़ने जा रही है।

पाठकों के लिए 'सब्सिडी' और 'घाटे' के इस खेल को समझना निहायत जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार भाव से खरीदे गए पेट्रोल का, तमाम खर्चों के बावजूद भारत में बाज़ार भाव किसी तरह से भी 23 रुपए प्रति लीटर से अधिक नहीं पड़ता। इस पर केन्द्र सरकार आयात शुल्क, उत्पाद शुल्क व तरह-तरह के सैस लगाती है तथा राज्य सरकारें 20-30 प्रतिशत बिक्री कर लगा कर इसकी कीमत को 52 रुपए प्रति लीटर तक पहुंचा देती हैं। फ़िर इसी कीमत को 49 रुपए प्रति लीटर करने के लिए 3 रुपए प्रति लीटर की सब्सिडी तेल कम्पनियों को देती रही है। हिसाब किताब बिल्कुल साफ़ है। एक लीटर पेट्रोल पर जनता से 29 रुपए विभिन्न टैक्सों के रूप में वसूल कर 3 रुपए की सब्सिडी देकर सरकार जनता को बेवकूफ़ बनाती आ रही है। वास्तव में सब्सिडी उसे कहा जाता है जब सरकार 23 रुपए के भाव से तेल खरीद कर जनता को 20 रुपए के भाव में उपलब्ध कराए।

केन्द्र सरकार ने तेल के दाम 3 रुपए बढ़ाए तो बंगाल में यह 4 रुपए बढ़ गया यानी उनकी सरकार को तो बैठे बैठाए एक रुपया प्रति लीटर का लाभ हो गया। इसी तरह मध्य प्रदेश, गुजरात व अन्य सभी राज्य सरकारों को भी बैठे बैठाए लाभ मिल गया तथा गाने के लिए राग विरोध मुफ़्त में।

इस खेल में एक और बड़ा लफ़ड़ा रिलायंस व एस्सार जैसी प्राइवेट कंपनियों ने भी खड़ा कर दिया। ये दोनों कंपनियां भी भारत के बाज़ार में तेल बेचने को उतरी थीं। लेकिन सरकार ने इनका गला घोटने के लिए तेल मूल्य में टैक्स भाग बढ़ा दिया, लेकिन तथाकथित सब्सिडी केवल अपनी (सरकारी) कम्पनियों को देनी शुरू कर दी। इससे उक्त दोनों प्राइवेट कंपनियां एक दिन भी बाज़ार में टिक न सकी और पूरा बाज़ार सरकार की कंपनियों के लिए छोड़ दिया। इस वक्त यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि जब सरकार ही चोरों की हो तो उसकी कम्पनियां क्या-क्या चोरी नहीं करती होंगी।

बहरहाल उक्त प्राइवेट कम्पनियों ने सरकार पर अपने चांदी के जूतों का दबाव बढ़ाया और तथाकथित सब्सिडी की यह नाटकबाज़ी बंद करवा दी। अब तेल पर सरकार जो भी टैक्स वसूलेगी वह पूरे का पूरा अपने पास रखेगी, किसी को कोई सब्सिडी देने का ड्रामा करने की जरूरत नहीं। इसका प्रभाव अब यह होगा कि आगामी 2 वर्षों में उक्त दोनों निजी कम्पनियों के पेट्रोल पम्पों की संख्या सरकारी कम्पनियों के पम्पों से ज़्यादा नहीं तो कम भी नहीं रहने वाली। कहने की जरूरत नहीं है कि सरकार की चोर कंपनियों से इनका प्रबंधन कहीं बेहतर होने के चलते ये कंपनियां सरकारी कम्पनियों को पछाड़ देंगी। ऐसे में या तो सरकारी कंपनियां सुधर जाएंगी या बर्बाद हो जाएंगी। ठीक वैसे ही जैसे आज सरकारी टेलीकॉम कम्पनियां हो रही हैं।

पेट्रो मूल्यों की वृद्धि को लेकर आज तमाम विपक्षी दल अपनी अपनी ढपली पर अपना अपना राग गाते हुए विरोध करने की एक रस्म अदायगी कर रहे हैं। यदि ऐसा न करें तो फ़िर इनका होना न होना बेकार है, इनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। यदि आज भाजपा केन्द्र में होकर यही काम करती तो कांग्रेस का कर्त्तव्य बन जाता कि वह विरोध की रस्म अदायगी करे। रही बात कामरेडों की तो उनके राज्यों में तेल पर 27 प्रतिशत सेल टैक्स क्यों है? क्यों नहीं घटाकर 8-10 प्रतिशत कर देते जो सभी अन्य वस्तुओं पर लगा हुआ है। केन्द्र सरकार ने तेल के दाम 3 रुपए बढ़ाए तो बंगाल में यह 4 रुपए बढ़ गया यानी उनकी सरकार को तो बैठे बैठाए एक रुपया प्रति लीटर का लाभ हो गया। इसी तरह मध्य प्रदेश, गुजरात व अन्य सभी राज्य सरकारों को भी बैठे बैठाए लाभ मिल गया तथा गाने के लिए राग विरोध मुफ़्त में।